न्यायालय : विशिष्ठ न्यायाधीश प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण जयपुर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : हनुमान प्रसाद, आर0एच0जे0एस0,
प्रकरण संख्या : 563/2017 (पुराना 534/2016)
Ncv Mact Main 02/2018

श्रीमती सीमा सांवरिया पुत्री श्री बंशीलाल सांवरिया, पत्नी श्री सुरेन्द्र राजोरिया, जाति खटीक, 27 वर्ष, निवासी वार्ड नम्बर–12, आसोलाई रोड, कस्बा चाकसू, तहसील व पुलिस थाना चाकसू, जिला–जयपुर। हाल निवासी मकान नम्बर ए–115, खटीकों का मौहल्ला, पुलिस थाना रामगंज, जयपुर।

........प्रार्थीया

बनाम

01 कजोड़मल मीणा पुत्र श्री रामकिशन मीणा, जाति मीणा, 25 वर्ष, निवासी कोलाडा, तहसील व पुलिस थाना बौली, जिला–सवाईमाधोपुर।
(चालक वाहन ट्रोला सं. आर जे 14 जीई 3976)

02 पैलेस इण्डिया जरिए हाल निदेशक, विनय कुमार पौद्धार पुत्र श्री द्वारका प्रसाद पौद्धार, 58 वर्ष, जाति महाजन, निवासी 8/31, विद्याधर नगर, जयपुर।
(मालिक वाहन ट्रोला सं. आर जे 14 जीई 3976)

03 इफको टोकियो जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, जरिए प्रबन्धक, कार्यालय–तृतीय मंजिल ए–13 एवं 37 हनुमान नगर, खातीपुरा तिराहा, सिरसी रोड, जयपुर।
(बीमा कम्पनी ट्रोला सं. आर जे 14 जीई 3976)

–––विपक्षीगण

उपस्थिति :–

1. श्री श्रवण लाल जाट, अधिवक्ता, वास्ते–प्रार्थीया।
2. श्री त्रिलोकपुरी गोस्वामी, अधिवक्ता, वास्ते–विपक्षी संख्या 1 व 2 एवं
3. श्री अविनाश पारीक, अधिवक्ता, वास्ते–विपक्षी बीमा कम्पनी।

दिनांक 24.07.2018

निर्णय

उक्त क्षतिपूर्ति याचिका दिनांक 07.02.2016 को घटित सडक दुर्घटना से संबंधित है। इस दुर्घटना में श्रीमती सामा सांवरिया के चोटें आने के कारण प्रार्थीया ने मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140/166 के तहत क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु याचिका मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (विशिष्ठ न्यायालय, साम्प्रदायिक दंगे प्रकरण) जयपुर महानगर के यहां दिनांक 06.06.2016 को पेश की गई।

याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश क्रमांक 45 दिनांक 17.08.2017 की पालना में इस अधिकरण को वास्ते सुनवाई व निस्तारण पत्रावली अंतरित होकर दिनांक 27.09.2017 को प्राप्त हुई।

संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 07.02.2016 को प्रार्थीया रीट का पेपर देकर जयपुर से लो फ्लोर बस से घर आ रही थी एवं जब वह समय करीब तीन साढे तीन पी0 एम0 के मध्य कोटखावदा मोड़ पर बस से उतरकर घर जाने के लिए रोड क्रोस कर रही थी कि अचानक जयपुर की तरफ से एक **ट्रोला नम्बर आर जे 14 जीई 3976 का चालक अपने वाहन को बहुत तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आया व साईड दबाते हुए प्रार्थीया के जौरदार टक्कर मारी, जिससे उसके शरीर पर गंभीर चोटें कारित हुई।** यह दुर्घटना ट्रोला नम्बर आर जे 14 जीई 3976 की गफलत व लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना चाकसू, जयपुर के यहां प्रस्तुत होने पर अभियोग संख्या 65/2016 दर्ज किया गया। पुलिस ने बाद अनुसंधान विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विपक्षी संख्या 2 वाहन स्वामी तथा विपक्षी संख्या 3 ने आरोपित वाहन का बीमा किया है, इसलिए विपक्षीगण से उचित क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने का अनुरोध किया गया।

विपक्षी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर याचिका में वर्णित अधिकांश तथ्यों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर कथन किया है

कि प्रार्थीया बदहवास होकर रोड के बीच में आ जाने से हड़बड़ाकर गिरने से मामूली चोटें आई हैं। अप्रार्थी संख्या 1 अपने वाहन को बिलकुल धीमी गति से चला रहा था, क्योंकि सडक के बीच में स्पीड ब्रेकर काफी मोटा बनाया हुआ है, इसलिए कोई भी वाहन तेज गति व लापरवाही से चल ही नहीं सकता। विपक्षी संख्या 2 आरोपित वाहन का स्वामी है तथा विपक्षी संख्या 3 उक्त वाहन की बीमा कम्पनी है, जिसकी किसी भी घटना से उत्पन्न कोई भी विवाद व क्षतिपूर्ति अदा करने की कानूनन जिम्मेदारी व उत्तरदायित्व है। यदि किसी प्रकार की कोई लाईब्लिटी माननीय न्यायालय उचित समझता है तो वह अप्रार्थी संख्या 3 से क्षतिपूर्ति दिला सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पूर्णतया निर्दोष हैं। अन्त में याचिका मय हर्जा–खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी ने अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर याचिका में वर्णित अधिकांश अभिवचनों को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर कथन किया कि दुर्घटना की सूचना वाहन चालक व मालिक द्वारा बीमा कम्पनी को नहीं दी गई है। आरोपित वाहन का विपक्षी संख्या 3 के यहां बीमा होना स्वीकार किया है। चालक के पास वक्त दुर्घटना वैध एवं प्रभावी चालक अनुज्ञा पत्र, परमिट, फिटनेस नहीं होने के कारण बीमा संविदा की शर्तों का उल्लघंन होने से बीमा कम्पनी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। दुर्घटना की रिपोर्ट **तीन दिन विलम्ब** से सोच–समझकर क्लैम लेने के लिए दर्ज करवाई है। प्रार्थीया स्वयं उक्त तथाकथित दुर्घटना के लिए योगदायी उपेक्षा की दोषी है। इस प्रकार से अंशदायी योगदान ''कन्ट्रीब्यूट्री नेग्लीजेंट के सिद्धान्त पर क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित किए जाने का निवेदन किया है। अन्त में प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत याचिका खारिज किए जाने का निवेदन किया है।

पक्षकारों के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर अधिकरण द्वारा कुल चार विवाद बिन्दुओं की रचना की गई।

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली का

अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विवाद बिन्दुओं पर विवेचन इस प्रकार है :—

विवाद बिन्दु संख्या 01 :—

क्या प्रश्नगत वाहन ट्रोला संख्या आर जे 14 जीई 3976 के चालक विपक्षी सं0 1 के द्वारा दिनांक 07.02.2016 को 3 से 3.30 पी0 एम0 पर कोटखावदा मोड, पुलिस थाना चाकसू, जयपुर क्षेत्र में उक्त वाहन का संचालन उपेक्षा /उतावलेपन से चलाकर दुर्घटना कारित की गई, जिसमें श्रीमती सीमा सावंरिया के चोटें कारित हुई?

इस विवाद बिन्दु को प्रमाणित करने का भार प्राथीया पक्ष पर है। आहता श्रीमती सीमा सांवरिया ने ए0 ड0 1 के रूप कथन किया है कि दिनांक 07.02.2016 की घटना है। मैं लो—फ्लोर बस में बैठकर जयपुर से चाकसू जा रही थी। समय करीब तीन—साढे तीन बजे कोटखावदा मोड पर उतरकर रोड पार करने के लिए खड़ी थी। इतने में ही **एक ट्रोला नम्बर आर जे 14 जीई 3976 का चालक अपने वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाया ओर साईड में खड़े हुए मुझको टक्कर मार दी, जिससे उसके गंभीर चोटें आई।** उसे चाकसू अस्पताल ले गए, जहां से जयपुर रैफर कर दिया। इस साक्षीया ने अनुसंधान से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श 1 एफ0 आई0 आर0, प्रदर्श 2 चार्जशीट, प्रदर्श 3 तहरीरी रिपोर्ट, प्रदर्श 4 नक्शा मौका, प्रदर्श 5 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श 6 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 7 नोटिस धारा 133 एम0 वी0 एक्ट, प्रदर्श 8 नोटिस धारा 134 एम0 वी0 एक्ट, प्रदर्श 9 फर्द जब्ती ट्रोला, प्रदर्श 10 मैकेनिकल मुआयना, प्रदर्श 11 आर0 सी0, प्रदर्श 12 लाईसेंस, प्रदर्श 13 इन्श्योरेंस, प्रदर्श 14 रोजनामचा, प्रदर्श 15 व 16 डिस्चार्ज टिकिट, प्रदर्श 17 बी0 एच0 टी0, प्रदर्श 18 स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र, प्रदर्श 19 लगायत 129 दवाईयों के बिल, जॉच रिपोर्ट व पर्चियॉ प्रस्तुत किए हैं। बीमा कम्पनी के अधिवक्ता द्वारा की गई जिरह में गवाह का कहना है कि यह कहना गलत है कि यह दुर्घटना सडक पार करते समय हुई, बल्कि मैं बस से उतर

चुकी थी ओर रोड क्रोस करने के लिए खड़ी थी। यह कहना भी गलत है कि बस वाले ने बीच सडक पर बस को रोकी हो।

विपक्षी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा साक्षीया से की गई जिरह में गवाह ने स्वीकार किया है कि यह सही है कि जिस जगह दुर्घटना हुई उस जगह स्पीड ब्रेकर बना हुआ था।

योग्य अधिवक्ता बीमा कम्पनी का तर्क है कि दिनांक 07.02.2016 को घटित दुर्घटना की लिखित रिपोर्ट दिनांक 10.02.2016 को दर्ज करवाई है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट बाद में सोच समझकर मात्र क्लैम लेने के उद्धेश्य से इस वाहन को लिप्त किया गया है, इसलिए वाहन की लिप्तता प्रमाणित नहीं है। दूसरी ओर प्रार्थीया के योग्य अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीया श्रीमती सीमा सांवरिया गंभीर स्थिति में ईलाजरत थी। ओर प्रदर्श 5 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श 6 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 15 व 16 डिस्चार्ज टिकिट एवं प्रदर्श 18 स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र के अनुसार आहता श्रीमती सीमा सांवरिया के गंभीर चोटें आई हैं। प्रदर्श 15 व 16 डिस्चार्ज टिकिट के अनुसार आहता श्रीमती सीमा सांवरिया को दिनांक 07.02.2016 को ही अस्पताल में भर्ती करवाया है तथा दिनांक 22.02.2016 को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। दिनांक 08.02.2016 को प्रार्थीया का ऑप्रेशन भी हुआ है। प्रार्थीया की ओर से **रोजनामचा रपट प्रदर्श 14 भी दुर्घटना की प्रस्तुत की गई है, जिसमें आरोपित वाहन द्वारा प्रार्थीया सीमा के टक्कर मारने का अंकन किया हुआ है।** अर्थात रिपोर्ट प्रदर्श 3 आहता श्रीमती सीमा के पिता बंशीलाल द्वारा श्रीमती सीमा के अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही दिनांक 10.02.2016 को दर्ज करवाई है। दुर्घटना होने के तुरन्त पश्चात् आहत को अस्पताल ले जाया जाता है एवं उसका इलाज करवाना ही प्राथमिकता होती है, उसके पश्चात् ही आहत अथवा उसके परिजन व अन्य व्यक्ति के द्वारा दुर्घटना की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज करवाई जाती है। इस प्रकरण में भी आहत के पिता बंशीलाल के द्वारा दिनांक 10.02.2016 को पुलिस थाना

चाकसू, जिला–जयपुर के यहां प्रदर्श 3 तहरीर रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। रोजनामचा रपट की नकल प्रदर्श 14 प्रस्तुत की गई है, जिसमें आरोपित वाहन द्वारा दुर्घटना कारित करना स्पष्ट अंकित है। अतः **प्रार्थीया की ओर से विलम्ब का उचित ओर युक्तियुक्त स्पष्टीकरण दिया है।**

उपरोक्त तर्कों के उपरान्त पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 07.02.2016 को ही आहता श्रीमती सीमा डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श 15 के अनुसार एस0 एम0 एस0 चिकित्सालय में ईलाज के लिए भर्ती हो गई थी। **प्रदर्श 15 में भी आरटीए अंकित है।** प्रदर्श 5 चोट प्रतिवेदन के अनुसार ए0 ड0 1 श्रीमती सीमा सांवरिया के शरीर पर भी चोटें आना प्रमाणित है। अतः ए0 ड0 1 श्रीमती सीमा ही घटना का वास्तविक प्रत्यक्षदर्शी एवं आहता साक्षीया है। प्रदर्श 15 दस्तावेज के अनुसार श्रीमती सीमा सांवरिया को दिनांक 22.02.2016 को चिकित्सालय से छुट्‌टी दी गई थी और अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान ही दिनांक 10.02.2016 को आहता के पिता बंशीलाल के द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श 3 पुलिस थाने पर दर्ज करवाई है, इसलिए रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब होना स्वाभाविक है। इसके अलावा प्रदर्श 3 लिखित रिपोर्ट बंशीलाल द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसमें आरोपी वाहन के नम्बर का उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसंधान द्वारा भी विपक्षी संख्या 1 के विरूद्व प्रदर्श 2 अभियोग पत्र प्रस्तुत हुआ है। प्रदर्श 4 नक्शे मौके की प्रमाणित प्रति फर्द के साथ प्रस्तुत की गई है, जिसके अवलोकन से भी जाहिर होता है कि आरोपी वाहन ने रोंगसाईड में जाकर दुर्घटना कारित की है। **रवि बनाम् बद्रीनारायण 2011(1) सीसीआर पेज 353 सुप्रिम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि यदि विलम्ब को स्पष्ट कर दिया गया है तो विलम्ब घातक नहीं है। विलम्ब का उचित एवं युक्तियुक्त कारण प्रस्तुत कर दिया है।** जबकि अप्रार्थीगण द्वारा खण्डन में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के उपरान्त विपक्षी संख्या 1 द्वारा आरोपी वाहन को गफलत, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण तरीके से चलाकर प्रार्थीया श्रीमती सीमा के टक्कर मारकर दुर्घटना कारित करना पाया जाता है। अतः यह विवाद बिन्दु संख्या 1 प्रार्थीया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद बिन्दु संख्या 02 :–

क्या उक्त आरोपी वाहन का संचालन दुर्घटना की तिथि को विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नियोजन, हितार्थ एवं लाभार्थ संचालित किया जा रहा था?

इस विवाद बिन्दु को प्रमाणित करने का भार प्रार्थीया पर था। इस विवाद बिन्दु के संबंध में वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदर्श 11 प्रस्तुत किया गया है, जिनके अनुसार विपक्षी संख्या 2 वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रदर्श 7 नोटिस धारा 133 एवं प्रदर्श 8 धारा 134 एम0 वी0 एक्ट के नोटिस विपक्षी संख्या 1 एवं विपक्षी संख्या 2 आरोपी वाहन मालिक /चालक को दिए गए हैं, जिनके जवाब में विपक्षी संख्या 1 एवं 2 ने आरोपी वाहन दुर्घटना की तिथि को स्वयं द्वारा विपक्षी संख्या 2 के नियोजन, हितार्थ एवं लाभार्थ चलाना स्वीकार किया है। अतः यह विवाद बिन्दु संख्या 2 प्रार्थीया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

विवाद बिन्दु संख्या 03 :–

क्या विपक्षी संख्या 03 बीमा कम्पनी अपने लिखित कथन की प्रारम्भिक आपत्तियों एवं विशेष कथन के मद्देनजर अपने दायित्व से मुक्त हो सकती है, नहीं तो इसका प्रभाव?

इस विवाद बिन्दु को प्रमाणित करने का भार विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी पर है। प्रदर्श 11 आरोपी वाहन का रजिस्ट्रेशन एवं प्रदर्श 12 चालक अनुज्ञा पत्र एवं बीमा प्रमाण पत्र प्रदर्श 13 प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत किया गया है। विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे के समर्थन में मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है ओर ना ही प्रार्थीया की साक्ष्य का प्रतिपरीक्षा में खण्डन हुआ है। अतः यह विवाद बिन्दु संख्या 3 प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के विरूद्व निर्णीत किया जाता है।

विवाद बिन्दु संख्या 04 :–

क्या दावेदार दावे में अंकित प्रश्नगत राशि या अन्य कोई न्याय सम्मत राशि प्राप्त कर सकता है, यदि हां तो दावेदार कितनी–कितनी राशि, किस–किस विपक्षी से एवं किस प्रकार से पा सकता है?

इस विवाद बिन्दु को प्रमाणित करते हुए ए0 ड0 1 श्रीमती सीमा सांवरिया ने कथन किया है कि दुर्घटना के समय मेरी उम्र 27 साल थी। **वक्त दुर्घटना कम्प्यूटर ऑपरेटर व ट्यूशन का कार्य करके बीस हजार रूपये प्रतिमाह कमा लेती थी।** मेरे इलाज में पांच–सात लाख रूपये खर्चा हो गया। इस **दुर्घटना में मेरे पेट में गंभीर चोटें आई, मेरी बच्चेदानी ट्यूब बच्चेदानी से अलग हो गई। पैशाब की थेली फट गई, कूल्हे के अन्दर की हड्डियॉ खिसक गई, पूरे पैर व कमर में गंभीर चोटें आई।** मेरा एस0 एम0 एस0 अस्पताल ओर महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट ईलाज चला था। मेरे बच्चेदानी व पैर का ऑप्रेशन हुआ है। मेरा स्थाई अयोग्यता प्रमाण पत्र सांगानेर से बना, **जिसमें 27.27 प्रतिशत अयोग्यता** है। अब मुझसे चला नहीं जाता, सीढियॉ चढा नहीं जाता, पैदल नहीं चल सकती, पेट में दर्द रहता है। उठने–बैठने में परेशानी रहती है, पैर ढंग से काम नही करता है। सबसे ज्यादा परेशानी है कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा। अभी मेरे कोई बच्चा नहीं है।

मेडिकल बोर्ड ने अयोग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श 18 जारी किया है, जिसमें 27.27 प्रतिशत अयोग्यता आना अंकित है, जो मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। इस साक्षीया के अनुसार प्रदर्श 5 चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श 6 एक्सरे रिपोर्ट, प्रदर्श 15 व 16 डिस्चार्ज टिकिट, प्रदर्श 17 बी0एच0टी0, प्रदर्श 18 अयोग्यता प्रमाण पत्र एवं प्रदर्श 19 लगायत प्रदर्श 129 ईलाज से संबंधित पर्चियां/बिल भी प्रस्तुत किए हैं।

आहता श्रीमती सीमा के अनुसार ईलाज के जो बिल प्रस्तुत किए हैं, जिनका कुल योग 17,297/–रूपये के लगभग होता है, कुछ बिल खो

गए होंगे। **इस प्रकार से दवाईयों के खर्च की मद में 17,300/—रूपये प्रार्थीया प्राप्त करने की हकदार है।** आहता की ओर से वर्तमान में उसका ईलाज चलने के संबंध में कोई चिकित्सकीय परामर्श की पर्चियॉ अथवा दवा खरीदने के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किए हैं, इसलिए भविष्य में ईलाज खर्च की मद में कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

प्रदर्श 15 डिस्चार्ज टिकिट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि प्रार्थीया एस0 एम0 एस0 चिकित्सालय में दिनांक 07.02.2016 को भर्ती हुई है तथा ऑप्रेशन भी हुआ है। आहता श्रीमती सीमा दिनांक 22.02.2016 को अस्पताल से डिस्चार्ज हुई है। इस दौरान उसे इलाज सहयोगी व्यक्ति की आवश्यकता रही है। आने—जाने में परिवहन का खर्चा भी हुआ है ओर उसने विशेष आहार भी लिया है। अतः इन मदों में भी उचित क्षतिपूर्ति की राशि दिलाया जाना न्यायोचित है।

भर्ती रहकर ईलाज करवाने ओर ऑप्रेशन होने से प्रार्थीया को दुःख व पीड़ा भोगनी पड़ी है। पत्रावली पर आहता श्रीमती सीमा सांवरिया के शरीर पर आई चोटों का चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श 5 पेश हुआ है, जिसमें उसकी आायु 27 वर्ष अंकित है। एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श 6 में भी 27 वर्ष तथा अस्पताल में भर्ती होने का टिकिट अर्थात डिस्चार्ज टिकिट प्रदर्श 15 पर 20 वर्ष अंकित की हुई है। प्रदर्श 16 डिस्चार्ज टिकिट में 27 वर्ष अंकित है। प्रार्थीया की ओर से दसवीं कक्षा की मार्कशीट की फोटोप्रति प्रस्तुत की गई है, जिसमें उसकी जन्मतिथि 10.02.1988 अंकित है। उक्त दस्तावेजात में अलग—अलग आहता की आयु अंकित है। इस प्रकार से आहता श्रीमती सीमा सांवरिया की दुर्घटना के समय आयु 28 वर्ष निर्धारित की जाती है। इस आयु वर्ग के व्यक्ति के लिए आय अर्जित करने की क्षमता में हुई कमी के लिए **सरला वर्मा बनाम् दिल्ली ट्रांसपोर्ट कम्पनी की सारणी के अनुसार 17 का गुणक काम में लिया जावेगा।**

जहां तक आहता के शरीर पर आई चोटों के कारण उसकी आय अर्जित करने की क्षमता में आई कमी का है। प्रार्थीया की ओर से उसके शरीर पर आई चोटों को प्रमाणित करने के लिए चिकित्सकीय साक्षी को पेश नहीं किया

है, परन्तु मेडिकल बोर्ड ने स्थाई अयोगयता का प्रमाण पत्र प्रदर्श 18 पेश किया है। जिसके अनुसार आहत के शरीर पर 27.27 प्रतिशत अयोग्यता दर्शित की गई है। यह अयोग्यता यद्यपि सम्पूर्ण शरीर की नहीं है। उसकी अयोग्यता में इलाज करवाने के उपरान्त कमी आई है ओर इस अयोग्यता से उसे भविष्य में कठिनाई भुगतनी होगी ओर वह अपनी सम्पूर्ण क्षमता से आय अर्जित नहीं कर पाएगा। आय अर्जित करने की क्षमता कितनी प्रभावित हुई है, इस गवाह ने नहीं बताया है। लेकिन **माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने राज कुमार बनाम् अजय कुमार 2011 (1) टीएसी पेज 785 के प्रकरण में यह अवधारित किया है कि अयोग्यता के कारण आय अर्जित करने की क्षमता में आई कमी के परिप्रेक्ष्य में क्षतिपूर्ति की राशि का निर्धारण किया जाना चाहिए।**

लालसिंह मरावी बनाम् नेशनल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 2017 (2) आर0 ए0 आर0 पेज 81 सुप्रिम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि चालक के बांए पैर में एम्पूटेशन था। कार्य की प्रकृति को देखते हुए 90 प्रतिशत स्थाई अयोग्यता निर्धारित की गई तथा कृत्रिम अंग लगाने के बदले में एक लाख रूपये दिलाए। उक्त नजीर को देखते हुए प्रार्थीया की चोट प्रतिवेदन, एक्सरे रिपोर्ट एवं अयोग्यता प्रमाण पत्र जोकि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। उसको देखते हुए **स्थाई अयोग्यता 27.27 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।**

आहता श्रीमती सीमा के द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर व ट्यूशन का कार्य करके बीस हजार रूपये मासिक आय अर्जित करना अपने बयानों में लिखाया है, किन्तु आय के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद नहीं है। प्रार्थीया की कहना है कि अब वह पूरे समय कम्प्यूटर पर बैठकर काम नहीं कर पाती। बच्चों को ट्यूशन भी बैठकर पढाने में परेशानी होती है। अतः मेरी आय प्रभावित हुई है। चूंकि प्रार्थीया के शिक्षा के दस्तावेज पेश हुए हैं, जिनमें वह एम0 ए0, बीएड पास है। प्रार्थीया के शिक्षा से संबंधित दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वह कुशल व्यक्ति की श्रेणी में आती है। **अतः वर्ष 2016 में आहता श्रीमती सीमा सांवरिया द्वारा कुशल व्यक्ति के रूप में कार्य करके 221/–रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी के हिसाब से**

6,630/—रूपये मासिक आय अर्जित करना निर्धारित किया जाता है।

प्रार्थीया श्रीमती सीमा ने अपने बयानों में कथन किया है कि अब मुझसे चला नहीं जाता, सीढियॉ चढा नहीं जाता, पैदल नहीं चल सकती, पेट में दर्द रहता है। उठने—बैठने में परेशानी रहती है, पैर ढंग से काम नही करता है। **सबसे ज्यादा परेशानी है कि अब मेरे बच्चा नहीं होगा। अभी मेरे कोई बच्चा नहीं है।** उक्त मद में भी क्षतिपूर्ति राशि दिलाया जाना न्यायोचित है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया/आहता श्रीमती सीमा सांवरिया के दुर्घटना में आई चोटों के लिए क्षतिपूर्ति राशि विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी से निम्नानुसार प्राप्त करने का अधिकारी है :—

01	इलाज खर्च के लिए	17,300.00
02	इलाज सहयोगी के लिए	5,000.00
03	परिवहन के लिए	1,000.00
04	विशेष आहार के लिए	2,000.00
05	दुःख व पीड़ा के लिए	10,000.00
06	विश्रामकाल में आय की क्षति के लिए 6,630X2 =	13,260.00
07	कार्य क्षमता में कमी के लिए 6,630X12X17 X27.27/100 =	3,68,832.00
08	बच्चेदानी में हुए अंदरूनी नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए	25,000.00
	कुल क्षतिपूर्ति राशि	4,42,392.00

उपरोक्तानुसार विवाद बिन्दु संख्या 4 प्रार्थीया के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

अनुतोष :—

दुर्घटना में आहता श्रीमती सीमा के शरीर पर आई चोटों के लिए बतौर क्षतिपूर्ति राशि 4,42,392/—रूपये विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी से दावा दायरी दिनांक 06.06.2016 से वसूली तक 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

पंचाट

प्रार्थीया श्रीमती सीमा सांवरिया के शरीर पर आई चोटों के लिए प्रस्तुत क्षतिपूर्ति याचिका अन्तर्गत धारा 166/140 मोटर वाहन अधिनियम अंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी के विरूद्व 4,42,392/—रूपये (अक्षरे चार लाख बैयालीस हजार तीन सौ बानवे रूपये) का पंचाट पारित किया जाता है। विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी उक्त राशि पर याचिका प्रस्तुत करने की तिथि 06.06.2016 से पंचाट राशि पर 7.5 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज का भुगतान करेगें।

अंतरिम पंचाट के रूप में भुगतान की गई राशि का समयोजन किए जाने के पश्चात् शेष राशि मय ब्याज का चैक विपक्षी संख्या 3 बीमा कम्पनी दो माह की अवधि में अधिकरण के नाम जमा करावे।

अधिकरण के यहां चैक जमा होने पर प्रार्थीया/आहता श्रीमती सीमा सांवरिया के नाम से दो वर्ष के लिए एक लाख पचास हजार रूपये तथा तीन वर्ष के लिए एक लाख पचास हजार की एफडीआर बनाई जावे तथा शेष राशि प्रार्थीया के बचत खाते में जमा होगी।

(हनुमान प्रसाद)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
जयपुर, जिला जयपुर

निर्णय/पंचाट आज दिनांक 24.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विशिष्ठ न्यायाधीश,
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी गबन प्रकरण एवं
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
जयपुर, जिला जयपुर